1. Urban water supply schemes & Construction of over head tanks

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ,
सतपूडा भवन ,भोपाल

कं0 / 1103 / रूपा / प्र.अ. / लोस्वायां / 05,   भोपाल ,दि.25.1.05

प्रति,

मुख्य अभियंता ,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र–भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / भोपाल / जबलपूर

अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
....................मण्डल.....................
कार्यापालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड..

विषयः– नगरीय जल प्रदाय योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन!

––00––

गतिवर्धित नगरी जल प्रदाय योजनाओं के कियान्वयन की समीक्षा करने यह पाया गया कि इन योजनाओं का कियान्वयन करनें में विभागीय अधिकारी पर्याप्त चि नहीं ले रहें है !फलस्वरूप इन योजनाओं हेतु पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध करा दिये जाने

के उपरांत भी योजनाओं के कार्य समय पर पूर्ण नही हो पा रहा है तथा अनावश्यक रूप से इस लापरवाही के करण जो विलंब हो रहा है उस करण से योजनाओं की लागत बढी हुई लागत की व्यवस्था करना एक समस्या बन जाती है । ऐसी स्थिति इसलिए निर्मित हो रही है क्योंकि विभागीया अधिकाारियों द्वारा बडी परियोंजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वर्क्स डिपार्टमेन्ट के मैन्यूल की कंडिका 2.006 में जो मार्गदर्शन दिया गया, है उसका पालन नहीं करते है । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 मे सभी अधिकारियों को सजग करने के लिये एक तकनीकी परिपत्र पृ0क0 9478 / अ0य0(रूपाकंन) / प्र.अ. / लो.स्वा.या.विभाग / 03 / भोपाल / दिनांक 26.12.2003 के माध्यम से जारी किया गया था जिसमे बडी परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु किन नियमों का पालन किया जाना है उसका विस्तृत वर्णन था इसी तारतम्य में पुनः निविदा की स्वीकृत विषयक एक पत्र दिनांक 23.04.2005 को भी जारी किया गया है जिसका आशय भी उक्त तकनीकी परिपत्र के सदृश्य ही है । कहने का आशय यह है कि नगरीय जल प्रदाय योजनाओ के कियान्वयन को समयबद्ध कार्यकम के तहत पुर्ण काम चाहिये ताकि इनकी लागत में वृद्धि की संभावना न बने प्रत्येक लिये स्वीकृत योजना जो स्टेज–1 स्टीमेट के आधार पर होती है के प्रत्येक अवयव का विस्तृत सर्वेक्षन एवं

रुपांकन कर स्टेज–2 स्टीमेट बनाया चाहिये एवं सक्षम अधिकारीओं द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाकर निविदा आमंत्रण कर कियान्वयन की कार्यवाही की जाना चाहिये। अनेको योजनाओं के कियान्वेयन की समिक्षा एवं प्राप्त निविदाओं के परीक्षण पर उपरोक्त बातों का अभाव पाया जा रहा है। फल
स्वरुप निविदा प्रकरणों की स्वीकृती में विलंब हो रहा है।जबकि गतिवर्धित नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के तहत समस्त शहरीय योजनायें हेतु पर्याप्त राशि कियान्वयन कें पूर्व ही उपलब्ध करा दी जाती है। वस्तुतः विभाग कें समस्त अधिकारीयों को चाहिये कि वे इस बात को गंभीरता सेलें एंव वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्यल की कंडिकाओं में दिये गये मार्गदर्शन अनुसार एंव इस कार्यालय व्दारा जारी तकनीकी परिपत्र दि0 26.04.
2005
का अध्ययन कर योजनायों के कियान्वयन में विशेष रूचि लें ताकि समय सीमा में योजनाओं पुरी हो सकें एवं उनकी लागत में वृद्धि की स्थिति निंमित न होने पाये । उपरोक्त बताये गये नियम एवं निर्देश बहुत ही स्पष्ट एवं सरल है तथा इनका पालन करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होना चाहिए ।

मैं आशा करता हॅ कि पुर्व में की जा रही गलतियों भविष्य में नहीं दोहराई जायेगी तथा नगरीय जल प्रदाय योजना के कार्यो को पयार्प्त गंभीरता से लिया जायेंगा अन्यथा ऐसी स्थिति में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी । कृपया निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे ।

प्रमुख अभियुता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश